

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- अविचल चतुर्वेदी  
आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र सं0 102/2018

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड, पता- साधना हाउस, द्वितीय फ्लोर, 570 पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई। आफिस पता - महिन्द्रा टॉवर्स, पी.के. कुर्ने चौक, वर्ली, मुम्बई। शाखा कार्यालय पता- 46, 47 श्रीनाथ टॉवर, प्रथम तल, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनोज कुमार निर्वाण पुत्र श्री सूरजमल निर्वाण जाति सैन निवासी गीजगढ, तिवारी मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री सुनील कुमार निर्वाण पुत्र श्री सूरजमल निर्वाण जाति सैन निवासी गीजगढ, तिवारी मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. श्री सूरजमल सैन पुत्र श्री रेवडमल सैन निवासी गीजगढ, तिवारी मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री सूरजमल सैन निवासी गीजगढ, तिवारी मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. श्री राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी-45, ग्राम गीजगढ, घंटाघर के पास, तहसील सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री लोकेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 10.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री मनोज कुमार निर्वाण पुत्र श्री सूरजमल निर्वाण जाति सैन निवासी गीजगढ, तिवारी मोहल्ला, बस स्टेण्ड के पास, तहसील सिकराय जिला दौसा व अन्य को 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्ता के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आबादी पट्टा सं0 20, दिनांक 14.11.1982, क्षेत्रफल 130.00 वर्गगज ग्राम गीजगढ ग्राम पंचायत गीजगढ, पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जो कि श्री सूरजमल सैन पुत्र श्री रेवड नाई के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फौसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 10 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)  
जिला कलेक्टर, दौसा